

वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए जारीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाली सूचना का प्रफोर्मा (वाणिज्यिक पत्र जारी करने के 3 दिनों के अंदर जारीकर्ता और भुगतानकर्ता एजेंट (आईपीए) के माध्यम से मु म प्र, एफएमडी, आरबीआई, मुंबई को प्रस्तुत किया जाना है ।)

प्रेषिती

मुख्य महा प्रबंधक  
वित्तीय बाजार विभाग  
भारतीय रिजर्व बैंक  
केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट  
मुंबई- 400 001

द्वारा: (आईपीए का नाम)

प्रिय महोदय

**वाणिज्यिक पत्र जारी करना**

रिजर्व बैंक द्वारा 19 अगस्त 2003 को वाणिज्यिक पत्र के निर्गम पर जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार हमने निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार वाणिज्यिक पत्र जारी किया है:

- |      |   |   |
|------|---|---|
| i)   | जारीकर्ता का नाम  | : |
| ii)  | पंजीकृत कार्यालय और पता   | : |
| iii) | व्यावसायिक कार्यकलाप  | : |
| iv)  | शेयर बाजार/बाजारों का/के नाम जहां जारीकर्ता के शेयर सूचीबद्ध है (यदि लागू हो) | : |
| v)   | अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार वास्तविक निवल स्वाधिकृत निधि         | : |
| vi)  | कुल कार्यशील पूंजीगत सीमा   | : |
| vii) | बकाया बैंक उधार   | : |

- viii) क)जारी कियो गये वाणिज्यिक पत्र का विवरण (अंकित मूल्य) : जारी करने की तिथि परिपक्वता की तिथि राशि दर
- i)  
ii)
- ख) वर्तमान निर्गम सहित जमा प्रमाण पत्रों की बाकाया राशि(अंकित मूल्य) :
- ix) भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लि. (क्रिसिल)या रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्दिष्ट अन्य किसी एजेंसी से प्राप्त साख निर्धारण
- i)  
ii)  
iii)
- x) जमा राशि जारी करने के लिए आपाती सुविधा प्रदान की गई है या नहीं ?
- xi) यदि हाँ तो
- i) आपाती सुविधा की राशि : करोड रुपये
- ii) किसके द्वारा दी गयी है (बैंक/वित्तीय संस्था का नाम)
- xii) क्या वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए शर्तरहित एवं अविकल्पी गारंटी दी गयी है
- xiii) यदि हाँ तो
- i) गारंटी की राशि : करोड रुपये
- ii) किसके द्वारा दी गयी है (गारंटर का नाम)
- iii) गारंटर का साख निधारण

के लिए और की ओर से

---

(जारीकर्ता का नाम)